फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 06.08.2025

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 283/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंग्स्टर एक्ट से सम्बन्धित सट्टा माफिया हसनैन गैंग के सक्रिय सदस्य द्वारा अवैध रूप से अपनी पत्नी के नाम अर्जित व निर्मित की गयी अचल सम्पत्ति (न्यू बजरंग फैमिली रेस्टोरेन्ट), कीमत करीब 3,15,00,000/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) को धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंग्स्टर एक्ट बनाम हसनैन पुत्र जुम्मन खाँ निवासी खटकपुरा सिद्दीकी कोतवाली फर्रूखाबाद आदि पर पंजीकृत किया गया था। गैंगलीडर हसनैन के सक्रिय सदस्य सर्वेश पाल पुत्र मलखान सिंह निवासी पालीवाल वाली गली बेवर रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ द्वारा अपनी पत्नी नीरज पाल के नाम अर्जित व निर्मित अवैध अचल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने हेतु माननीय न्यायालय फर्रूखाबाद ने अपने आदेश वाद संख्या 09/2025 दिनांकित 05.08.2025 के द्वारा निम्नांकित सूची में अभियुक्त सर्वेश पाल उपरोक्त एवं उसके परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेशित किया गया। आदेश के क्रम में दिनांक 06.08.2025 को निम्न प्रारूप में अंकित सम्पत्ति, जिसकी कुल कीमत करीब 3,15,00,000/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) है, की कुर्की की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रशासन द्वारा जनपद फतेहगढ़ में नियुक्त प्रशासक नायब तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद श्री शनि कनौजिया मय राजस्व टीम के नेतृत्व में थानाध्यक्ष मऊदरवाजा बलराज भाटी व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहगढ़ रणविजय सिंह मय हमराह फोर्स के निम्नांकित सूची में अंकित अचल सम्पत्तियों पर जाकर नियमानुसार कुर्की आदेश की उद्घोषणा करते हुये डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किये गये तथा सम्पत्ति को सील करते हुये धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट (कुर्की) की कार्यवाही सम्पादित करते हुये अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

मु0अ0सं0 283/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोतवाली फर्रूखाबाद से संबंधित अभियुक्त गैंग सदस्य सर्वेश पाल उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी नीरज पाल के नाम आपराधिक कृत्यों से अर्जित व निर्मित की गयी अवैध अचल सम्पत्ति (न्यू बजरंग फैमिली रेस्टोरेन्ट), जिसकी वर्तमान कीमत करीब **3,15,00,000/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये)** है, की कुर्की की कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त प्रकरण में गैंग सदस्य सर्वेश पाल उपरोक्त द्वारा अर्जित अवैध चल अचल सम्पत्तियों की कुर्की की कार्यवाही के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अब तक कुल **6,50,15,095/-(छः करोड़ पचास लाख पन्द्रह हजार पिचानवे रुपये) व सट्टा माफिया हसनैन गैंग की अब तक कुल 13,64,77,965/- (तेरह करोड़ चौसठ लाख सतहत्तर हजार नौ सौ पैंसठ रूपये)** की सम्पत्ति कुर्क करायी जा चुकी है।

कुर्की की कार्यवाही में लगा थाना मऊदरवाजा पुलिस बल –

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. हे0का0 अनुज तिवारी
3. आरक्षी मोहम्मद आलम

कुर्की की कार्यवाही में लगा कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस बल –

1. प्र0नि0 श्री रणविजय सिंह मय हमराह पुलिस बल।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

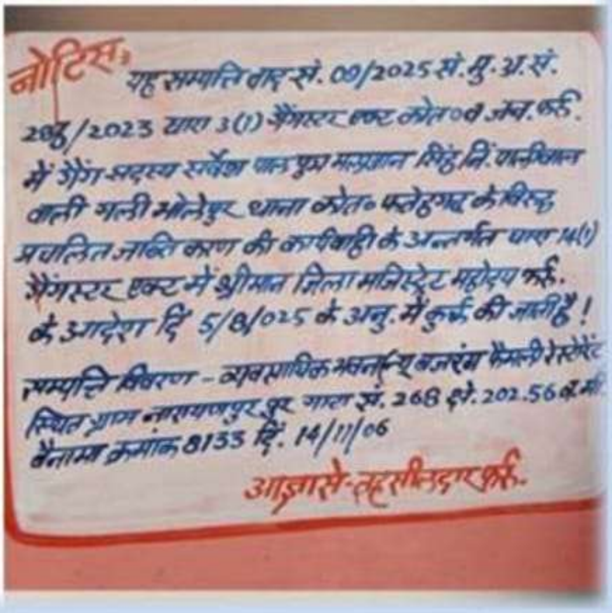

प्रारूप – गैंग सदस्य सर्वेश पाल की पत्नी नीरज पाल के नाम अचल सम्पत्ति

क्र0 सं0	सम्पत्ति का विवरण	नाम पंजीकृत स्वामी	सरकारी मूल्यांकन (रूपये)	मूल्यांकन PWD (रूपये)	बाजार मूल्यांकन (रू0)
1.	व्यावसायिक भवन स्थित ग्राम नरायनपुर गाटा सं0 268 क्षे0 202.56 वर्गमीटर बैनामा क्रमांक 8133 दिनांक 14.11.2006	नीरज पत्नी सर्वेश पाल निवासी बेवर रोड भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़	1,07,35,680/-	26,79,000/-	3,15,00,000 (तीन करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये
			सम्पत्ति (भूखण्ड व भवन) का कुल सरकारी मूल्य—1,34,14,680/- (एक करोड़ चौंतीस लाख चौदह हजार छः सौ अस्सी) रुपये		